विनी मित्तल और एच.एस.भल्ला, जे.जे.

संजीव कुमार

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य

सी.डब्ल्यू.पी. न. 2006 का 6584

10 अगस्त 2006

भारत का संविधान, 1950-अनुच्छेद- 226—याचिकाकर्ता एक नया खुदरा बिक्री केंद्र स्थापित करने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र की मांग कर रहा है—साइट के गहन निरीक्षण के बाद सभी संबंधित विभाग अपनी अनापत्ति प्रमाण पत्र जिला मजिस्ट्रेट को भेज रहे हैं—जिला मजिस्ट्रेट साइट फिर से निरीक्षण के लिए मामले को एसडीओ (सी) को भेज रहे है—उच्च न्यायालय के निर्देश पर, जिला मजिस्ट्रेट ने विभागों को अपनी संयुक्त रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा - एसडीओ (सी) ने गहन निरीक्षण करने के बाद अपनी रिपोर्ट के साथ एनओसी जमा की - सभी संबंधित विभागों ने भी अपनी एनओसी जमा की– सी एल 4.1 आई.आर.सी. 12-1983 के आधार पर याचिकाकर्ता को एनओसी देने से इनकार कर दिया क्योकि दो खुदरा दुकानों के बीच न्यूनतम 300 मीटर की दूरी की आवश्यकता होती है - चुनौती की - उत्तरदाता यह दिखाने में विफल रहे कि आई आर सी की संस्तुति को राज्य सरकार द्वारा कोई अधिसूचना जारी करके अपनाया गया - केवल आई .आर. सी की संस्तुति के आधार पर और राज्य में लागू किसी भी नियम/विनियम के अभाव में, याचिकाकर्ता का दावा खारिज नहीं किया जा सकता - याचिका स्वीकार कर ली गई, याचिकाकर्ता को एनओसी देने से इनकार करने वाले, जिला मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश, रद्द कर दिए गए।

यह अभिनिर्णित किया गया कि याचिकाकर्ता को प्रतिवादी नंबर 2 द्वारा अनावश्यक रूप से परेशान किया जा रहा है। हालांक, सभी संबंधित विभागों ने जिला मजिस्ट्रेट को अपनी अनापत्ति भेज दी है, लेकिन अनुचित कारणों से प्रतिवादी नंबर 2 ने अपेक्षित अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी नहीं

करने का विकल्प चुना है। किसी न किसी बहाने से याचिकाकर्ता के मामले में अपेक्षित अनापत्ति प्रमाण पत्र को रोका/अस्वीकृत किया जा रहा है। पहले, जब प्रतिवादी संख्या 2 ने 10 सितंबर, 2004 को एक आदेश पारित किया, तो भारत सरकार के 27 जुलाई, 1999 के निर्देशों पर भरोसा किया था। याचिकाकर्ता ने 2004 के सी.डब्ल्यू.पी. 17385 के माध्यम से उपरोक्त अस्वीकृति आदेश को चुनौती दी थी। एक विशिष्ट आपत्ति यह ली गई कि 27 जुलाई, 1999 के उपरोक्त निर्देश केवल राष्ट्रीय राजमार्गों के मामले में लागू थे और ये याचिकाकर्ता के मामले पर भी लागू नहीं थे। फिर 4 फरवरी 2005 को एक स्पष्टीकरण जारी किया गया कि 27 जुलाई 1999 के निर्देशों का उल्लेख अनजाने में हुआ था लेकिन मामला आई.आर.सी. 12-1983 के खंड 4.1 के अंतर्गत आता है। जब इस न्यायालय ने जिला मजिस्ट्रेट को मामले पर पुनर्विचार करके एक नया आदेश पारित करने की आवश्यकता की, तो याचिकाकर्ता के दावे को खारिज करते हुए 16 फरवरी, 2005 को एक नया आदेश फिर से पारित किया गया। वास्तव में, 16 फरवरी, 2005 को आदेश पारित करते समय जिला मजिस्ट्रेट द्वारा इस बात का उल्लेख तक नहीं किया गया कि क्या उपरोक्त आई.आर.सी 12-1983 याचिकाकर्ता के मामले पर भी लागू थे या और क्या हरियाणा राज्य सरकार द्वारा कभी भी अधिसूचित/अपनाया गया है। हम यह समझने में असफल हैं कि, किस प्रकार से, किसी औपचारिक अंगीकरण के अभाव में उक्त निर्देशों/सिफारिशों की अधिसूचना को व्यापक रूप से अपनाया जा सकता है, जैसा कि उत्तरदाताओं ने सुझाव दिया है। अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए कंपनी/याचिकाकर्ता का दावा केवल कुछ नियम/विनियम के आधार पर खारिज किया जा सकता है, जो हरियाणा राज्य में लागू था, न कि केवल आई.आर.सी की एक संस्तुति के आधार पर जिसे हरियाणा राज्य द्वारा किसी भी स्तर पर अपनाया नहीं गया था।

(पैरा 12)

याचिकाकर्ता के वकील - पुनित बाली।

प्रतिवादियों की ओर से - अशोक जिंदल, अतिरिक्त महाधिवक्ता, हरियाणा।

संजीव कुमार *बनाम* हरियाणा राज्य और अन्य
(विन्नी मित्तल, *जे।)*

<u>निर्णय</u>

विनी मित्तल, जे.

(1) याचिकाकर्ता ने उपायुक्त/जिला मजिस्ट्रेट, मोहिंदरगढ़ द्वारा पारित 4 फरवरी, 2005 (अनुलग्नक पी.22) और 16 फरवरी, 2005 (अनुलग्नक पी.23) के आदेशों को चुनौती देते हुए इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। उपरोक्त आदेशों के तहत, प्रतिवादी नंबर 2 ने, नारनौल-सिंघाना रोड, जिला मोहिंदरगढ़ पर गांव बलाहा कलां में एक खुदरा बिक्री केंद्र स्थापित करने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने से इनकार कर दिया है।

(2) रिकॉर्ड से जो तथ्य सामने आए हैं, उनसे पता चलता है कि याचिकाकर्ता ने 8 कनाल 16 मरला जमीन नारनौल-सिंघाना रोड पर ,गांव बलाहा कलां, राज्य राजमार्ग 26, के.एम.स्टोन नंबर 122 के पास जिला मोहिंदरगढ़, 31 दिसंबर, 2001, को बिक्री पत्र के माध्यम से खरीदी। इंडो बर्मा पेट्रोलियम कंपनी (आईबीपी) प्रतिवादी संख्या 3 ने उपरोक्त भूमि का एक हिस्सा याचिकाकर्ता से उपरोक्त स्थान पर एक नया रिटेल आउटलेट स्थापित करने के उद्देश्य से लिया । याचिकाकर्ता का दावा है कि याचिकाकर्ता और आईबीपी के बीच कोई लिखित समझौता नहीं किया गया था। यह पूर्व-आवश्यकता है कि विस्फोटकों के लिए लाइसेंस और लिखित अनुबंध केवल जिला मजिस्ट्रेट से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद ही निष्पादित किया जा सकता है, इसलिए, प्रतिवादी नंबर 3 ने प्रश्नगत स्थल पर नया खुदरा बिक्री केंद्र स्थापित करने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र, जारी करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट, मोहिंदरगढ़ को 23 दिसंबर 2002, को एक संचार जारी किया। उक्त आवेदन के साथ, प्रतिवादी संख्या 3 ने साइट योजनाओं और अन्य आवश्यक दस्तावेजों की प्रतियां भी संलग्न कीं। उपरोक्त आवेदन प्राप्त होने पर, जिला मजिस्ट्रेट, प्रतिवादी नंबर 2 ने पुलिस अधीक्षक मोहिंदरगढ़, उपमंडल अधिकारी (नागरिक) नारनौल, कार्यकारी अभियंता, पीडब्ल्यूडी (बी एंड आर) नारनौल, जिला नगर एवं ग्राम नियोजन अधिकारी, नारनौल, उप वन संरक्षक, मोहिंदरगढ़, अग्निशमन अधिकारी, नारनौल और जिला शिक्षा

अधिकारी, नारनौल सहित विभिन्न अन्य विभागों को अपेक्षित संचार भेज दिया। याचिकाकर्ता का कहना है कि संचार प्राप्त होने पर विभिन्न विभागों द्वारा विचाराधीन साइट के गहन निरीक्षण के बाद, उपरोक्त सभी विभागों ने अपने अलग-अलग संचार के माध्यम से अपने अनापत्ति प्रमाण पत्र जिला मजिस्ट्रेट को भेज दिए। विभिन्न विभागों द्वारा जिला मजिस्ट्रेट को संबोधित उपरोक्त संचार की प्रतियां वर्तमान याचिकाकर्ता के साथ संलग्न की गई हैं। हालाँकि, जिला मजिस्ट्रेट, प्रतिवादी नंबर 2 ने अपेक्षित अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने का विकल्प नहीं चुना, बल्कि 10 अप्रैल, 2003 के अपने संचार के माध्यम से मामले को उपमंडल अधिकारी (सिविल), नारनौल को वापस भेजने का फैसला किया, जिसमें उन्हें निरीक्षण करने का आदेश दिया । याचिकाकर्ता का कहना है कि अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए, अन्य आवेदकों द्वारा दायर किए गए इसी तरह के विभिन्न आवेदनों पर कार्रवाई की गई और उक्त आवेदकों को अपेक्षित प्रमाण पत्र जारी किए गए, लेकिन याचिकाकर्ता के मामले में ऐसा कोई अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया। इन परिस्थितियों में, याचिकाकर्ता ने जिला मजिस्ट्रेट द्वारा उपमंडल अधिकारी (नागरिक) को जारी 10 अप्रैल, 2003 के उपरोक्त संचार को चुनौती देते हुए 2003 के सी.डब्ल्यू.पी नंबर 8292 के माध्यम से इस अदालत का दरवाजा खटखटाया। इस न्यायालय द्वारा 17 मई, 2004 को उक्त रिट याचिका का निपटारा कर दिया गया था और उत्तरदाताओं को उपमंडल अधिकारी, नारनौल द्वारा 10 जनवरी, 2003 को जारी किए गए पूर्व अनापत्ति प्रमाण पत्र के प्रभाव पर विचार करने का निर्देश दिया गया था।

(3) इस न्यायालय से आदेश प्राप्त होने पर, जिला मजिस्ट्रेट द्वारा ऊपर उल्लिखित संबंधित विभागों को एक संचार भेजा गया था, जिसमें उन्हें अपनी संयुक्त रिपोर्ट प्रस्तुत को कहा गया था। मुख्य मंडल प्रबंधक, आईबीपी ने 20 जुलाई, 2004 को प्रतिवादी नंबर 2 को एक संचार भेजा, जिसके तहत याचिकाकर्ता के मामले पर विचार करने को कहा गया। उपमंडल अधिकारी (नागरिक) द्वारा 5 जुलाई, 2004 को जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक, नारनौल और पुलिस उपाधीक्षक, नारनौल के साथ गहन निरीक्षण करने के बाद फिर से एक समान संचार भेजा गया

था और कोई आपत्ति नहीं होने के संबंध में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। उपमंडल अधिकारी (नागरिक) ने कहा कि पेट्रोल पंप को चालू किया जाए और किसी भी अप्रिय घटना की संभावना नहीं है और उनके कार्यालय को रिटेल आउटलेट की स्थापना में कोई आपत्ति नहीं है। आगे यह भी कहा गया कि पुलिस और फायर ब्रिगेड की सेवाएं बिना किसी कठिनाई के उस स्थान पर पहुंचाई जा सकती थीं क्योंकि उपरोक्त पेट्रोल पंप नारनौल-सिंघाना रोड पर स्थित था।

(4) याचिकाकर्ता ने कहा है कि उप मंडल अभियंता, पीडब्ल्यूडी (बी एंड आर), नारनौल के कार्यालय ने भी इसी तरह की अनापत्ति प्रस्तुत की थी। यहां तक कि फायर स्टेशन अधिकारी, नारनौल ने भी 6 अगस्त 2004 को अपनी अनापत्ति देते हुए एक रिपोर्ट प्रस्तुत की।

(5) हालाँकि, सभी संबंधित विभागों ने जिला मजिस्ट्रेट के अधिकारी को अनापत्ति प्रमाण पत्र जमा कर दिया था, लेकिन फिर भी राज कपूर, ग्राम बाला कलां निवासी, द्वारा दायर एक शिकायत के कारण जिला मजिस्ट्रेट द्वारा आईबीपी/याचिकाकर्ता को अपेक्षित अनापत्ति प्रमाण पत्र कभी जारी नहीं किया गया था। 10 सितंबर, 2004 के एक आदेश के जरिए याचिकाकर्ता को अनापत्ति प्रमाण पत्र देने से इस आधार पर इनकार कर दिया गया था कि प्रस्तावित आउटलेट से सिर्फ 300 मीटर के भीतर एक और पेट्रोल पंप चल रहा था और भारत सरकार के भूतल परिवहन मंत्रालय द्वारा दिनांक 27 जुलाई 1999 के निर्देशों के अनुसार दो ईंधन भरने वाले स्टेशनों के बीच 300 मीटर से ज़्यादा की स्पष्ट दूरी होनी चाहिए। संचार दिनांक 10 सितम्बर 2004को अनुलग्नक पी.20 के रूप में वर्तमान याचिका के साथ जोड़ा गया है। याचिकाकर्ता ने 10 सितंबर, 2004 के उपरोक्त संचार को चुनौती देते हुए इस न्यायालय के समक्ष 2004 का सी.डब्ल्यू.पी नंबर 17385 दायर की । हालांकि, उपरोक्त याचिका के लंबित रहने के दौरान, प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा 4 फरवरी 2005 के एक अन्य आदेश के माध्यम से एक स्पष्टीकरण/संशोधन जारी किया गया था, जिसमें याचिकाकर्ता को सूचित किया गया था कि 10 सितंबर 2004 के पहले के आदेश में, भारत सरकार के 27 जुलाई 1999 के निर्देशों का अनजाने में उल्लेख किया गया था, जबकि याचिकाकर्ता का मामला उसके खिलाफ धारा 4.1 आई.आर.सी. 12-1983 के अनुसार कवर

किया गया था। 4 फरवरी 2005, का उपरोक्त संचार वर्तमान याचिका के साथ अनुबंध पी.22 के रूप में संलग्न है। इन परिस्थितियों में मामले पर नए सिरे से विचार करने के लिए 2004 के सी.डब्ल्यू.पी संख्या 17385 में एक आदेश पारित किया गया था।

(6) उपरोक्त निर्देशों के मद्देनजर, 16 फरवरी, 2005 को एक आदेश पारित किया गया था और अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने का दावा अभी भी प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा खारिज कर दिया गया था। नए अस्वीकृति आदेश का सामना करते हुए, याचिकाकर्ता ने उपरोक्त सी.डब्ल्यू.पी क्रमांक 17385 ऑफ़ 2004 वापस ले लिया, जिसमें 16 फरवरी 2005 के आदेश को चुनौती देते हुए एक नई याचिका दायर करने की छूट माँगी। इन परिस्थितियों में याचिकाकर्ता ने अस्वीकृति के पहले के आदेशों के साथ-साथ नए आदेश, दिनांक 16 फरवरी 2005 (अनुलग्नक पृ.23), को चुनौती देते हुए, वर्तमान याचिका के माध्यम से इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।

(7) इस स्तर पर, हम यह भी देख सकते हैं कि आदेश (अनुलग्नक पी. 23) दिनांक 16 फरवरी, 2005 को प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा यह देखते हुए पारित किया गया है कि आई.आर.सी. के अनुसार यह आवश्यक था कि दो खुदरा दुकानों के बीच न्यूनतम 300 मीटर की दूरी होनी चाहिए और चूंकि कंपनी की प्रस्तावित साइट आसन्न, पेट्रोल पंप से 300 मीटर के भीतर है, इसलिए, अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जा सका। हालाँकि, रिट याचिका के पैरा 27 में, याचिकाकर्ता ने विशेष रूप से दलील दी है कि आई.आर.सी., 12-1983 का खंड 4.1 केवल एक सुझाव था और इसे कभी भी हरियाणा राज्य पर लागू नहीं किया गया था और न ही इसे राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित या अपनाया गया था। किसी भी अधिसूचना/निर्देश जारी करके हरियाणा की। याचिकाकर्ता ने रिट याचिका के पैरा 28 और 29 में यह भी दलील दी है कि रिटेल की स्थापना के लिए बड़ी संख्या में आवेदकों को अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किए गए थे, हालांकि उपरोक्त प्रस्तावित स्थल मौजूदा खुदरा दुकानों से 300 मीटर की दूरी के भीतर थे।

(8) याचिकाकर्ता के दावे का उत्तरदाताओं संख्या 1 और 2 द्वारा विरोध किया गया था । उक्त उत्तरदाताओं की ओर से दायर लिखित बयान में, अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के दावे की

अस्वीकृति का बचाव किया गया है। याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अन्य विस्तृत तथ्यों पर विवाद नहीं किया गया है, यहां तक कि यह भी विवादित नहीं है कि सभी संबंधित विभागों ने अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किए थे और केवल प्रस्तावित स्थल से 300 मीटर की दूरी के भीतर एक अन्य रिटेल आउटलेट का अस्तित्व होने के कारण अनापत्ति प्रमाण पत्र को प्रतिवादी संख्या २ द्वारा आई.आर.सी., 12-1983 के खंड 4.1 पर भरोसा करते हुए, अस्वीकार कर दिया गया

(9) हालाँकि , याचिकाकर्ता द्वारा रिट याचिका के पैरा 27 में एक विशिष्ट दलील उठाई गई है कि खंड 4.1,आई.आर.सी., 12-1983 केवल एक सुझाव थी और इसे कभी भी हरियाणा राज्य पर लागू नहीं किया गया था, इसे कभी भी अधिसूचित नहीं किया गया था और हरियाणा राज्य सरकार द्वारा अपनाए गए लिखित बयान के संगत पैरा में इस तथ्य से इनकार भी नहीं किया गया था । लिखित बयान के पैरा 27 और '28 को इस प्रकार देखा जा सकता है-

"27. रिट याचिका के पैरा संख्या 27 के कथन रिकॉर्ड का विषय है, इसलिए कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती। हालांकि, 4 फरवरी, 2005 और 16 फरवरी, 2005 के आदेश कानूनी हैं और कायम रहने योग्य हैं।

28. जैसा कि आरोप लगाया गया है, रिट याचिका के पैरा संख्या 28 के कथन गलत है। यह उल्लेख करना और भी गलत है कि आई.आर.सी.-12-1983 के कथन राज्य राजमार्गों पर लागू नहीं होते हैं। पेट्रोल पंप आउटलेट की स्थापना के लिए इन निर्देशों/सिफारिशों को पूरे देश में व्यापक रूप से अपनाया गया है। भारत सरकार, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने इसे अपने ज्ञापन संख्या पीडब्लू-एनबी-33023/19/99-डीओ-11, दिनांक 25 सितंबर, 2003/17 अक्टूबर, 2003, के माध्यम से सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के सभी मुख्य सचिवों को प्रसारित किया है, जैसा कि ज्ञापन क्रमांक 296, दिनांक 16 फरवरी, 2005 कार्यकारी अभियंता लोक निर्माण विभाग (बी और आर) नारनौल ने प्रतिवादी क्रमांक 2 को संबोधित किया, जो अनुलग्नक आर. 7 है।"

(10) फिर से, याचिकाकर्ता ने खुदरा दुकानों की स्थापना के लिए बड़ी संख्या में आवेदकों को अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में रिट याचिका के पैरा 29 में तथ्य दिए हैं, हालांकि प्रस्तावित स्थल मौजूदा खुदरा दुकानों की 300 मीटर की दूरी के भीतर थे, लेकिन लिखित बयान के पैरा 29 में भी इस तथ्य से इनकार नहीं किया गया है। लिखित बयान के पैरा 29 को इस प्रकार देखा जा सकता है।

"29. रिट याचिका का पैरा नंबर 29 रिकॉर्ड का विषय है। हालाँकि, यह प्रस्तुत किया गया है कि याचिकाकर्ता पिछली कुछ गलत रिपोर्टों का लाभ नहीं उठा सकता है। इसके अलावा, तत्कालीन अधिकारियों के कुछ पूर्व नाखुश निर्णयों को नियम के रूप में नहीं लिया जा सकता है, जिन्हें बाद में सुधारा नहीं जा सकता। ये निर्णय वर्तमान याचिका पर निर्णय लेने के लिए प्रासंगिक नहीं हैं"।

(11) हमने याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री पुनीत बाली और उत्तरदाताओं की ओर से उपस्थित हुए हरियाणा के विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता श्री अशोक जिंदल को सुना है और उनकी सहायता से मामले के रिकॉर्ड को भी देखा है।

(12) ऊपर देखे गए विस्तृत तथ्यों का वर्णन स्पष्ट रूप से यह आभास देता है कि याचिकाकर्ता को प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा अनावश्यक रूप से परेशान किया जा रहा है। हालांकि, सभी संबंधित विभागों ने जिला मजिस्ट्रेट को अपनी अनापत्ति भेज दी है, लेकिन अनुचित कारणों से प्रतिवादी संख्या 2 ने अपेक्षित अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी नहीं करने का निर्णय लिया। किसी न किसी बहाने से याचिकाकर्ता के मामले में अपेक्षित अनापत्ति प्रमाण पत्र को रोका/अस्वीकृत किया जा रहा है। इससे पहले, जब प्रतिवादी नंबर 2 द्वारा 10 सितंबर, 2004 के एक आदेश पारित किया गया था, तब भारत सरकार के 27 जुलाई, 1999 के निर्देशों पर भरोसा किया गया था। याचिकाकर्ता ने 2004 के सीडब्ल्यूटी नंबर 17385 के माध्यम से उपरोक्त अस्वीकृति आदेश को चुनौती दी थी। एक विशिष्ट आपत्ति ली गई थी कि 27 जुलाई, 1999 के उपरोक्त निर्देश केवल राष्ट्रीय राजमार्गों के मामले में लागू थे और याचिकाकर्ता के मामले पर भी लागू नहीं थे। फिर 4 फरवरी, 2005 को

एक स्पष्टीकरण जारी किया गया कि 27 जुलाई, 1999 के निर्देशों का उल्लेख अनजाने में किया गया था, लेकिन मामला आई.आर.सी., 12-1983 के खंड 4.1 के तहत कवर किया गया था, जो प्रस्तुत मामले पर लागू था। जब इस न्यायालय ने जिला मजिस्ट्रेट को मामले पर पुनर्विचार करके एक नया आदेश पारित करने की आवश्यकता दी, तो याचिकाकर्ता के दावे को खारिज करते हुए 16 फरवरी, 2005 को एक नया आदेश पारित किया गया। सच तो यह है कि जिला मजिस्ट्रेट ने 16 फरवरी, 2005 को आदेश पारित करते हुए ये तक नहीं पूछा कि क्या उपरोक्त आई.आर.सी., 12-1983 याचिकाकर्ता के मामले पर भी लागू थे या क्या इसे राज्य सरकार द्वारा कभी अधिसूचित/अपनाया गया था? याचिकाकर्ता द्वारा रिट याचिका के पैरा 27 में एक विशिष्ट दलील उठाई गई है, लेकिन उत्तरदाताओं (राज्य सरकार और जिला मजिस्ट्रेट) ने अपने द्वारा दायर लिखित बयान में उक्त तथ्य से इनकार नहीं करने का विकल्प चुना था। यह कायम रखा गया है कि पैरा 27 की प्रतियोगिताएं रिकॉर्ड का विषय हैं। लिखित बयान के पैरा 28 में संयुक्त रूप से कहा गया है कि "पेट्रोल पंप आउटलेट की स्थापना के लिए इन निर्देशों/सिफारिशों को पूरे देश में व्यापक रूप से अपनाया गया है। हम यह समझने में असफल हैं कि उन निर्देशों/सुझावों की, जिनकी कोई आधिकृत स्वीकृति/सूचना नहीं होती, उनका विस्तारित स्वीकृति कैसे हो सकता है, जैसा उत्तरदाताओं द्वारा सुझाया गया है। अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए कंपनी/याचिकाकर्ता का दावा केवल कुछ नियम/विनियम के आधार पर खारिज किया जा सकता और न केवल आई.आर.सी. की एक सुझाव के आधार पर, जिसे किसी भी स्तर पर हरियाणा राज्य द्वारा अपनाया नहीं गया था।

(13) हम यह भी ध्यान दे सकते हैं कि आई.आर.सी., 12-1983 का शीर्षक इस प्रकार है:

"आईआरसी: 12-1983

सड़क किनारे मोटर-ईंधन भरने और मोटर-ईंधन भरने-सह-सेवा स्टेशनों के स्थान और लेआउट के लिए अनुशंसित अभ्यास"।

(14) इन परिस्थितियों में, हम इस बात से संतुष्ट हैं कि मोटर ईंधन भरने और सर्विस स्टेशन के स्थान और लेआउट के लिए आईआरसी द्वारा दिये गये सुझाव को बाध्यकारी बल के रूप में नहीं माना जा सकता है जिससे जिला मजिस्ट्रेट को आवेदक के दावे को अस्वीकार करने के लिए शक्ति/क्षेत्राधिकार प्रदान किया जा सके। उपरोक्त सुझाव अधिक से अधिक एक मार्गदर्शन की प्रकति में है। सक्षम प्राधिकारी (जिला मजिस्ट्रेट) को मामले के तथ्यों और परिस्थितियों, प्रस्तावित रिटेल आउटलेट के स्थान और विभिन्न अन्य परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, स्वतंत्र रूप से आवेदक के दावे पर निर्णय लेना चाहिए । आईआरसी के सुझावों के आधार पर दावे को यांत्रिक रूप से खारिज नहीं किया जा सकता।

(15) इस मामले का एक और पहलू है जिस पर हमें अवश्य ध्यान देना चाहिए। आईआरसी द्वारा उपरोक्त सुझावों को वर्ष 1983 में तैयार की गया। उस समय खुदरा दुकानों का आवंटन, प्रबंधन और नियंत्रण सरकार के नियंत्रण में था। तब से बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। खुदरा दुकानों को चलाने के व्यवसाय का निजीकरण कर दिया गया है। विभिन्न तेल कंपनियों का निजीकरण कर दिया गया है। भारत सरकार और विभिन्न राज्य सरकारों का नियंत्रण सीमित कर दिया गया है। उदारीकरण की नीति अपनाई जा रही है । इन परिस्थितियों में, यदि उक्त खंड का कड़ाई से पालन करने की अनुमति दी जाती है, तो इससे कुछ लोगों के हाथों में एकाधिकार हो जाएगा। एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को खारिज कर दिया जाएगा। उपभोक्ता को कष्ट होगा। यह इरादा नहीं हो सकता है, और वर्तमान शासन प्रणाली के तहत इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती है। किसी भी मामले में, हमें नहीं लगता कि उपरोक्त सुझावों में कोई बाध्यकारी शक्ति है, क्योंकि इसे किसी भी स्तर पर राज्य सरकार द्वारा अपनाया नहीं गया है।

(16) अन्यथा भी, ये पाया गया है कि, याचिकाकर्ता ने याचिका के पैरा 29 और 30 में विशेष रूप से अनुरोध किया है, कि खुदरा दुकानों की स्थापना के लिए बड़ी संख्या में आवेदकों को अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं, हालांकि प्रस्तावित साइटें थीं मौजूदा खुदरा दुकानों के 300 मीटर की दूरी के भीतर भी। इस तथ्य को उत्तरदाताओं द्वारा नकारा भी नहीं गया है। यह तथ्य स्वयं

दर्शाता है कि आईआरसी की उपरोक्त सुझावों को अतीत में भी कोई बाध्यकारी शक्ति नहीं माना गया था। याचिकाकर्ता के साथ अलग व्यवहार नहीं किया जा सकता है।

(17) परिणामस्वरूप, हम वर्तमान याचिका को स्वीकार करते हैं और जिला मजिस्ट्रेट, प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा पारित 4 फरवरी 2005 के आदेश (अनुलग्नक पी.22) और 16 फरवरी 2005 के आदेश (अनुलग्नक पी.23) को रद्द करते हैं। चूंकि आईबीपी कंपनी द्वारा दायर आवेदन पर अनापत्ति प्रमाण पत्र केवल आई.आर.सी., 12-1983 के खंड 4.1 के आधार पर अस्वीकार कर दिया गया है, इसलिए, हम प्रतिवादी संख्या 2 को अनापत्ति प्रमाण पत्र, प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा दायर आवेदन, नारनौल-सिंघाना रोड, जिला मोहिंदरगढ़ पर गांव बलाहा कलां में स्टेट हाईवे-26 के केएम स्टोन नंबर 122 के पास स्थापित किए जाने वाले प्रस्तावित रिटेल आउटलेट के संबंध में जारी करने का निर्देश देते हैं। इस संबंध में आवश्यक प्रक्रिया, इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने की तिथि से, चार सप्ताह की अवधि के भीतर पूरी की जाएगी।

(18) अत्यावश्यक प्रतियों के भुगतान के लिए, शुल्क का भुगतान करने पर, आदेश की एक प्रति दी जाएगी।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

अनमोल कक्कड़
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
(Trainee Judicial Officer) करनाल, हरियाणा

संजीव कुमार *बनाम* हरियाणा राज्य और अन्य
(विन्नी मित्तल, *जे।*)